जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम
उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन 3 अप्रेल से 9 अप्रेल तक
आमजन व विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही होगा समाधान

जयपुर, 22 मार्च। आमजन व विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धित समस्याओं के त्वरित व मौके पर ही समाधान के लिए जयपुर डिस्कॉम में 3 अप्रेल से 9 अप्रेल, 2018 तक *उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों* का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता निवारण शिविरों में उपभोक्ताओं की अधिकतम भागीदारी व समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के प्रत्येक सर्किल में सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्रवार उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों का आयोजन 3 अप्रेल से 9 अप्रेल तक प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक किया जाएगा और आवश्यकतानुसार शिविरों को 9 अप्रेल से आगे भी आयोजित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शिविरों के सफल आयोजन के लिए निगम के अधीक्षण अभियन्ता नोडल अधिकारी होंगे और सभी अधीक्षण अभियन्ता उनके वृत के क्षेत्र में सम्बन्धित माननीय विधायक से पूर्व अनुमति अनुरुप शिविर की तारीख व स्थान सुनिश्चित कर व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ शिविरों का आयोजन करेंगे।

श्री गुप्ता ने बताया कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान/निस्तारण शिविर के दिन ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व शेष रही शिकायतों की प्रवृत्ति के अनुसार 1–30 दिवस में उसका निस्तारण अवश्य कर दिया जाए और निस्तारण नही हो सकने वाली शिकायतों के बारे में कारण सहित उपभोक्ता का जानकारी दी जाए। शिविरों में निगम के अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, लेखाकार, उपभोक्ता शिकायत लिपिक व लेजर कीपर आवश्यक रिकार्ड सहित व तकनीकी कर्मचारी उपस्थित करेंगे।

शिविर में प्राप्त शिकायत की पावती, पंजीकरण के विवरण सहित सहायक अभियन्ता से हस्ताक्षरित उपभोक्ता को दी जाएगी, जिसमें शिकायत निवारण का विवरण अंकित होगा तथा मौके पर शिकायत निवारण नही होने की स्थिति में निवारण होने की सम्भावित दिनांक भी अंकित की जाएगी।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 723/2018